

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद, जिला कोटा ①

मि० न०  
150/22

तारीख वादपत्र  
28.09.2022

तारीख फैसला  
11.10.2022

पीठासीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)  
रामरतन उर्फ रतनलाल पुत्र मथुरालाल जाति कीर निवासी खेडलीपरसराम तहसील दीगोद जिला कोटा  
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादीगण की ओर से :- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

-: निर्णय :-

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी क  
शामलाती खाते में खाता संख्या 92 नया 45 पुराना की खसरा नम्बर 282 रकबा 0.01 है0, 292 रकबा 0.23  
है0, 293 रकबा 0.01 है0, 294 रकबा 0.42 है0, 316 रकबा 1.70 है0, 347 रकबा 0.06 है0, 368 रकबा  
0.07 है0, 369 रकबा 0.08 है0, 371 रकबा 0.03 है0, कुल कित्ता 9 रकबा 2.61 है0 ग्राम खेडली परसराम  
की खाता संख्या 147 नया 44 पुराना के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.03 है0, 289 रकबा 1.50 है0, 307  
रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.07 है0, 346 रकबा 0.21 है0, कुल कित्ता 5 रकबा 1.82 है0,  
ग्राम बगावदा खाता संख्या 37 नया पुराना 38 पुराना खसरा नम्बर 490 रकबा 0.02 है0, 500 रकबा 0.23  
है0, 542 रकबा 0.11 है0, कुल कित्ता 3 रकबा 0.36 है0, ग्राम बगावदा की खाता संख्या 38 नया 37 पुराना  
खसरा नम्बर 532 रकबा 0.08 है0, 534 रकबा 0.04 है0, 536 रकबा 0.06 है0, 538 रकबा 0.02 है0, 540  
रकबा 0.25 है0, 546 रकबा 0.08 है0, 548 रकबा 0.40 है0, ग्राम खेडली परसराम में खाता संख्या 183  
नया 170 पुराना की ख0न0 295 रकबा 0.42 है0 कित्ता 1 रकबा 0.42 है0 भूमिया स्थित चली आ रही है।  
जिनमें वादी का रतनलाल दर्ज है।

यह कि उक्त आराजीयात में वादी का नाम रतनलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी  
का समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रामरतन है। जिससे वादी को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडीड  
कार्ड आदी लेने में पेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि  
उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी नाम  
रामरतन है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा खेडली परसराम व बगावदा की भूमियों के राजस्व



दस्तावेज

तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष

तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)

(3)

(2)

रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन के स्थान पर रतनलाल दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन दर्ज किया जाकर रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रतिवादी से दिनांक 12.08.2022 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 92 नया 45 पुराना की खसरा नम्बर 282 रकबा 0.01 है, 292 रकबा 0.23 है, 293 रकबा 0.01 है, 294 रकबा 0.42 है, 316 रकबा 1.70 है, 347 रकबा 0.06 है, 368 रकबा 0.07 है, 369 रकबा 0.08 है, 371 रकबा 0.03 है, कुल किता 9 रकबा 2.61 है। ग्राम खेडली परसराम की खाता संख्या 147 नया 44 पुराना के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.03 है, 289 रकबा 1.50 है, 307 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.07 है, 346 रकबा 0.21 है, कुल किता 5 रकबा 1.82 है, ग्राम बगावदा खाता संख्या 37 नया पुराना 38 पुराना खसरा नम्बर 490 रकबा 0.02 है, 500 रकबा 0.23 है, 542 रकबा 0.11 है, कुल किता 3 रकबा 0.36 है, ग्राम बगावदा की खाता संख्या 38 नया 37 पुराना खसरा नम्बर 532 रकबा 0.08 है, 534 रकबा 0.04 है, 536 रकबा 0.06 है, 538 रकबा 0.02 है, 540 रकबा 0.25 है, 546 रकबा 0.08 है, 548 रकबा 0.40 है, ग्राम खेडली परसराम में खाता संख्या 183 नया 170 पुराना की खसरा नम्बर 295 रकबा 0.42 है, किता 1 रकबा 0.42 है। भूमिया में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 92 नया 45 पुराना की खसरा नम्बर 282 रकबा 0.01 है, 292 रकबा 0.23 है, 293 रकबा 0.01 है, 294 रकबा 0.42 है, 316 रकबा 1.70 है, 347 रकबा 0.06 है, 368 रकबा 0.07 है, 369 रकबा 0.08 है, 371 रकबा 0.03 है, कुल किता 9 रकबा 2.61 है। ग्राम खेडली परसराम की खाता संख्या 147 नया 44 पुराना के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.03 है, 289 रकबा 1.50 है, 307 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.07 है, 346 रकबा 0.21 है, कुल किता 5 रकबा 1.82 है, ग्राम बगावदा खाता संख्या 37 नया पुराना 38 पुराना खसरा नम्बर 490 रकबा 0.02 है, 500 रकबा 0.23 है, 542 रकबा 0.11 है, कुल किता 3 रकबा 0.36 है, ग्राम बगावदा की खाता संख्या 38 नया 37 पुराना खसरा नम्बर 532 रकबा 0.08 है, 534 रकबा 0.04 है, 536 रकबा 0.06 है, 538 रकबा 0.02 है, 540 रकबा 0.25 है, 546 रकबा 0.08 है, 548 रकबा 0.40 है, ग्राम खेडली परसराम में खाता संख्या 183

*Swamin*

*8/8*


*अध्यक्ष*


तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)


3

नेया 170 पुराना की ख0न0 295 रकबा 0.42 है0 किता 1 रकबा 0.42 है0 भूमियों में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
अध्यक्ष  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)

अज अदालत न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)

रामरतन उर्फ रतनलाल पुत्र मथुरालाल जाति कीर निवासी खेडलीपरसराम तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 92 नया 45 पुराना की खसरा नम्बर 282 रकबा 0.01 है0, 292 रकबा 0.23 है0, 293 रकबा 0.01 है0, 294 रकबा 0.42 है0, 316 रकबा 1.70 है0, 347 रकबा 0.06 है0, 368 रकबा 0.07 है0, 369 रकबा 0.08 है0, 371 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 रकबा 2.61 है0 ग्राम खेडली परसराम की खाता संख्या 147 नया 44 पुराना के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.03 है0, 289 रकबा 1.50 है0, 307 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.07 है0, 346 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 रकबा 1.82 है0, ग्राम बगावदा खाता संख्या 37 नया पुराना 38 पुराना खसरा नम्बर 490 रकबा 0.02 है0, 500 रकबा 0.23 है0, 542 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 रकबा 0.36 है0, ग्राम बगावदा की खाता संख्या 38 नया 37 पुराना खसरा नम्बर 532 रकबा 0.08 है0, 534 रकबा 0.04 है0, 536 रकबा 0.06 है0, 538 रकबा 0.02 है0, 540 रकबा 0.25 है0, 546 रकबा 0.08 है0, 548 रकबा 0.40 है0, ग्राम खेडली परसराम में खाता संख्या 183 नया 170 पुराना की ख0न0 295 रकबा 0.42 है0 किता 1 रकबा 0.42 है0 भूमियों में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में जारी किया गया

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगें।

ह.स.

11

आध्यक्ष  
राज्य विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)

दीगोद